उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–55/2024–25

शिशिर कुमार झा

बनाम्

नवल किशोर झा एवं अन्य

–: आदेश :–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शिशिर कुमार झा, पे0–स्व0 कृष्णकांत झा, सा0+पंचायत–सैदापुर, थाना–गोड्डा(मु0), अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का पी0ए0 केश नं0–12/2023–24 (नवल किशोर झा बनाम् रैयान मौजा–सैदापुर, थाना नं0–320) में दिनांक –01–07–2024 के पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता मौजा–सैदापुर, थाना नं0–320, अंचल–गोड्डा के प्रधान के परिवार से संबंधित है। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 केश नं0–12/2023–24 में दिनांक– 01.07.2024 को आदेश पारित कर नवल किशोर झा, पिता–स्व0 विष्णुकांत झा को मौजा–सैदापुर का प्रधान नियुक्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के परदादा हीरालाल झा, मौजा–सैदापुर के प्रथम प्रधान थे। हीरालाल झा की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र एवं अपीलकर्त्ता के दादा कमलाकांत झा को मौजा–सैदापुर का प्रधान नियुक्त किया गया था। उनका आगे कथन है कि कमलाकांत झा की मृत्यु के बाद, वर्तमान नियुक्त प्रधान के पिता–स्व0 विष्णुकांत झा के द्वारा अनुचित तरीकों एवं गलत तथ्यों को पेश कर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–सैदापुर के प्रधान के रूप में अपनी नियुक्ति करवा ली थी। लेकिन वर्तमान प्रधान के पिता स्व0 विष्णुकांत झा अपने पिता स्व0 कमलाकांत झा, तत्कालीन प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। उनका आगे कथन है कि स्व0 कमला कांत झा के सबसे बड़े पुत्र स्व0 कृष्णकांत झा थे, जिसका उल्लेख निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–01.07.2024 में भी किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–

सैदापुर के प्रधानी पद पर स्व0 विष्णुकांत झा की नियुक्ति गलत तरीके से की गई थी और मौजा–सैदापुर के 16 आना रैयतों को कभी नोटिश नहीं दिया गया था तथा न ही इस उद्देश्य के लिए दिनांक–18.01.2024 को कोई ग्राम सभा आयोजित की गई। उनका आगे कथन है कि नियुक्ति के दौरान निम्न न्यायालय के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। लेकिन अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से लगता है कि अंचल अधिकारी के द्वारा स्वयं स्थल जाकर जाँच नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि प्रधान की नियुक्ति के लिए 16 आना रैयतों द्वारा सामान्य स्वीकृति के लिए मतदान कराना आवश्यक है, परन्तु कभी भी मतदान नहीं कराया गया। साथ ही केवल औपचारिकता के लिए रैयतों को नोटिश जारी किया गया, जो प्रधानी नियुक्ति के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन में नियुक्त प्रधान का उम्र 69 वर्ष बतायी गई है, जो साबित करता है कि वे एक वृद्ध व्यक्ति हैं। उनका आगे कथन है कि वे प्रधान के कर्त्तव्य को प्रभावी ढंग और ईमानदारी से निभाने में असमर्थ है। वर्तमान नियुक्त प्रधान नवल किशोर झा सरकारी शिक्षक के पद् से सेवानिवृत होने के बाद पिछले लगभग 10 वर्षों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उनका आगे कथन है कि कोई भी व्यक्ति, जो लाभ के पद पर है और पेंशन या कोई अन्य लाभकारी परिलब्धियां प्राप्त कर रहा है, उसे प्रधान के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ने दिनांक–06.02.2024 को मौजा–सैदापुर के प्रधानी पद पर अपनी नियुक्ति के लिए निम्न न्यायालय में आवेदन दिया था। लेकिन निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग किए बिना अंतिम आदेश पारित कर दिया तथा उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। अपीलकर्त्ता एक युवा, उर्जावान और शिक्षित व्यक्ति है और मौजा–सैदापुर के अधिकांश रैयत उसे अपना प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने निम्न न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–12/2023–24 में दिनांक–01.07.2024 के पारित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान अपील वाद अपीलकर्त्ता शिशिर कुमार झा के द्वारा मौजा–सैदापुर नं0–320 के नवनियुक्त प्रधान नवल किशोर झा के नियुक्ति के विरूद्ध दायर की गई

है। उनका आगे कथन है कि दोनों पक्षों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि हीरालाल झा, मौजा–सैदापुर के मूल प्रधान थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र कमला कांत झा को वंशानुक्रम के आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया था। कमला कांत झा के छः पुत्र क्रमशः 1. कृष्णा कांत झा, 2. विष्णुकांत झा, 3. निशिकांत झा, 4. अवनिकांत झा, 5. सरोज कांत झा एवं 6. श्यामा कांत झा थे। कमला कांत झा की मृत्यु के उपरांत उनके दूसरे पुत्र विष्णु कांत झा को वर्ष 1950–51 ई0 में प्रधान नियुक्त किया गया था। प्रधान विष्णु कांत झा दिनांक–03.06.2023 को फौत कर गए एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र नवल किशोर झा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–सैदापुर का प्रधान नियुक्त किया गया। नवल किशोर झा की नियुक्ति के लंबित रहने के दौरान वर्त्तमान अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में मौजा–सैदापुर के रैयत होने के नाते नवल किशोर झा की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति को निम्न न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया और नवल किशोर झा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–सैदापुर का प्रधान नियुक्त किया गया। उनके आगे कथन है कि उत्तरवादी के प्रधान पद् पर नियुक्ति के बाद शिशिर कुमार झा ने उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में वर्तमान अपील वाद दायर किया है। उनका आगे कथन है कि कमला कांत झा की मृत्यु प्रधान के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए उनके पुत्रों को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत प्रधान नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। कमला कांत झा की बर्खास्तगी के बाद संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत प्रधान की नियुक्ति शुरू की गई थी और उम्मीदवारों के बीच चुनाव कराया गया था, जिसमें घृत नंदन झा को 39 वोट मिले और विष्णु कांत झा को 35 वोट मिले थे। लेकिन चूँकि घृत नंदन झा, टी0एन0बी0, कॉलेज, भागलपुर के क्लर्क होने के नाते एक सेवा धारक थे और उनके विरूद्ध एक आपत्ति दर्ज की गई थी कि वह एक सेवा धारक हैं तथा स्थायी रूप से भागलपुर में रहते थे। इसलिए घृत नंदन झा के द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष वादा किया गया था, कि यदि वे प्रधान नियुक्त होते हैं, तो वे अपना सेवा धारक का पद छोड़ देंगे। अंततः तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा घृत नंदन झा को

सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। उनका आगे कथन है कि विष्णु कांत झा के द्वारा उम्मीदवार होने के नाते उपायुक्त, दुमका के समक्ष धृत नंदन झा के विरूद्ध अपील दायर किया गया एवं उपायुक्त, दुमका के द्वारा उक्त अपील को खारिज करते हुए, विष्णुकांत झा को मौजा–सैदापुर का प्रधान नियुक्ति किया गया। उनका आगे कथन है कि विष्णुकांत झा की नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत की गई है। उनका आगे कथन है कि नवल किशोर झा अंतिम प्रधान विष्णु कांत झा के सबसे बड़े पुत्र हैं एवं तथा उनके दोनों भाई नंद किशोर झा और बिकास चंद्र झा ने मौजा–सैदापुर के प्रधान के रूप में उनकी नियुक्ति के समर्थन में शपथ पत्र दिया है। उनका आगे कथन है कि नवल किशोर झा सेवा निवृति के पश्चात् प्रधान के रूप में नियुक्त हुए। उनका आगे कथन है कि मौजा–सैदापुर के प्रधान पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय उनकी आयु केवल 69 वर्ष थी और प्रधान का पद धारण करने के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है एवं किसी भी कारण से यदि नियुक्त प्रधान अपना कर्त्तव्य प्रधान के रूप में ठीक से नहीं कर पाता है तो उसे अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए करपरदार नियुक्त करने का अधिकार है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी के पिता विष्णु कांत झा, जो अंतिम प्रधान थे, ने 92 वर्ष की आयु में सबसे बड़े पुत्र नवल किशोर झा को करपरदार नियुक्त किया था एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा ने भी जाँच प्रतिवेदन में भी उनके मामले का समर्थन किया है तथा 16 आना रैयतों को भी उचित नोटिश जारी किया गया था। लेकिन वर्तमान अपीलकर्त्ता को छोड़कर किसी भी रैयत द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। इस तरह से निम्न न्यायालय ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत नवल किशोर झा को मौजा–सैदापुर का प्रधान नियुक्त किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादी को परेशान करने के लिए वाद को दायर किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सैदापुर, थाना नं0–320 प्रधानी मौजा है एवं मौजा के पूर्व प्रधान विष्णु कांत झा थे, जिसकी पुष्टि

निम्न न्यायालय के द्वारा भी की गई है। अंतिम प्रधान विष्णु कांत झा दिनांक–03.06.2023 को फौत कर गए हैं। उत्तरवादी नवल किशोर झा अंतिम प्रधान विष्णु कांत झा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अंतिम प्रधान विष्णु कांत झा के अन्य पुत्रों द्वारा नवल किशोर झा को प्रधान के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमति दी है तथा मौजा–सैदापुर, थाना नं0–320 के आम रैयतों द्वारा सहमति प्रदान किया गया है, केवल शिशिर कुमार झा द्वारा वर्त्तमान में आपत्ति दर्ज किया जा रहा है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रैयतों की आम सहमति एवं संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर नवल किशोर झा, पिता–स्व0 विष्णु कांत झा, ग्राम+पो0–सैदापुर, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा को प्रधान नियुक्त किया गया है, जो नियम संगत प्रतीत होता है।

अतएव निम्न न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–12/2023–24 में दिनांक–01.07.2024 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.10.15 14:59:49 +05:30
Location: 192.168.1.36